रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2000.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 14 अगस्त, 2000/23 श्रावण, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 9 अगस्त, 2000

संख्या 6-12/91-टी एस एम (सैक्ट)-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए उपाबन्ध-"क" के अनुसार पर्यटन नीति बनाते हैं ।

आदेश द्वारा,
अजय प्रसाद,
वित्तायुक्त एवं सचिव ।

1469-राजपत्र/2000-14-8-2000—1,392. मूल्य : एक रुपया ।

उपाबन्ध --क

हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नीति-2000

(1) पर्यटन नई सहस्त्राब्दी मे विकास का एक मुख्य स्तम्भ :

व्यवस्था पर्यटन को विश्व अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त हो रही है । भारतवर्ष में, यद्यपि हम अपनी सम्भावित क्षमता का आरम्भिक उपयोग भी नहीं कर पाए हैं तथापि विदेशी मुद्रा अर्जित करने में पर्यटन का तीसरा स्थान है । पर्यटन में निवेश किए जाने वाले प्रत्येक दस लाख रुपये से 47.5 रोजगार के नए अवसर प्राप्त होते हैं । कृषि जैसे पारम्परिक महत्वपूर्ण क्षेत्र के मुकाबले में यह दर अधिक है जो कि 44.7 नये रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है । विश्व स्तर पर यह महसूस किया जा रहा है विकास के प्रत्येक स्तर पर पर्यटन नई सहस्त्राब्दी के लिए विकास के लिए मुख्य स्तम्भ के रूप में उभर कर सामने आया है । इसके माध्यम से हम अपने पर्यावरण तथा प्राकृतिक सम्पदा को सुरक्षित रखते हुए चहुंमुखी विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं ।

हिमाचल प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने सम्बन्धी सभी आवश्यक मूलभूत संसाधन उपलब्ध हैं । यहां की भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक विविधता, शांत एवं सुन्दर वातावरण, वन, झीलें, पहाड़, नदियां तथा सरिताएं , पवित्र धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्मारक तथा इनसे भी अधिक स्नेह तथा सत्कारशील लोक पर्यटन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं । वर्ष 1999 के दौरान हिमाचल प्रदेश में कुल 47.7 लाख पर्यटक भ्रमण पर आए जिनमें से 88,000 विदेशी थे । पर्यटन का हमारे राज्य के घरेलु उत्पाद में लगभग 2% का योगदान है । सावधानीपूर्वक नियोजन तथा विकास के द्वारा इसमें कई गुणा बढ़ौतरी सम्भव है ।

(2) पर्यटन की नीति की आवश्यकता :

हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री प्रो0 प्रेम कुमार धूमल द्वारा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग को नई मिशन स्टेटमैंट दी :

> "भ्रमण तथा पर्यटन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लोगों को खुशहाल बनाना, पर्यटन को प्रोत्साहन, जो स्थानीय लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करते हुए पर्यावरण को धारित करता है; तथा प्रदेश के लोगों को रोजगार के नए प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और सहायक अवसर प्रदान करता है ।"

इस सन्देश के उद्देश्यों की प्राप्ति तथा हमारी पर्यटन सम्भावनाओं के पूर्ण दोहन के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि नई पर्यटन नीति विकसित की जाए ।

इससे पूर्व राज्य सरकार ने पर्यटन नीति की घोषणा सन् 1991 में की थी । उस समय से आज तक कई नए तथ्य सामने आये हैं । पारम्परिक पर्यटन के साथ-साथ वाणिज्यपरक पर्यटन उभर कर सामने आया है । साहसिक खेलें पर्यटन के मुख्य आकर्षण के रूप में मुखर हुई है । अनियन्त्रित पर्यटन विस्तार पारिस्थितिक सन्तुलन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है । ऐसी स्थिति में यह नितान्त आवश्यक है कि हम ऐसी उपयुक्त नियामक संरचना तैयार करें कि पयटन सम्बन्धी समस्त गतिविधियां सुरक्षित तथा सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो सके । यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि भविष्य में किए जाने वाले विकास को ऐसी दिशा प्रदान की जाए जिससे प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में वृद्धि होने के साथ-साथ इसे सुरक्षित भी रखा जा सके । उपदान तथा प्रोत्साहन पर अत्यधिक निर्भर न करते हुए राज्य में ऐसे बहुत से अवसर उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से आकर्षक तथा उपयुक्त पर्यावरण के साथ-साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाकर पर्यटन उद्योग में नये निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है ।

नई पर्यटन नीति--उद्देश्य :

(1) हिमाचल प्रदेश में आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पारिस्थितिक दृष्टि से अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना ।

(2) उत्तरदायी पर्यटन विकसित करना जो अधिमत नियोक्ता तथा सामुदायिक उद्योग दोनों के रूप में स्वागत योग्य होगा ।

(3) पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण, जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करना।

(4) पर्यटन में निजी क्षेत्र को रोजगार सृजित करने तथा नई संरचना स्थापित किए जाने हेतु अधिक भागीदार बनाना ।

(5) पर्यटकों की अवधि में विस्तार के उद्देश्य से गतिविधियों पर आधारित पर्यटन को विकसित करना ।

(6) अन्तरराष्ट्रीय अपेक्षाओं के स्तरों पर आधारित सुरक्षा मापदण्ड उपलब्ध करवा कर साहसिक पर्यटन को विकसित करना ।

(7) धार्मिक पर्यटन के विकास की ओर विशेष ध्यान देना ।

(8) टाईम-शेयर जैसी नई अवधारणा को पर्यटन में विकसित करना ।

(9) पर्यटन क्षेत्र में प्रदेश सरकार की भूमिका में परिवर्तन ।

(4) नई पर्यटन नीति--नीति योजना :

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नई पर्यटन नीति के अन्तर्गत निम्न नीति अपनाई जाएगी :

*पर्यटन व मौसम में पारम्परिक सम्बन्धों में परिवर्तन : हिमाचल प्रदेश सदैव ही गर्मियों के दौरान लोकप्रिय पर्यटक स्थल रहा है । पर्यटन की दिशा में विविधता की आवश्यकता है ताकि अन्य मौसम में भी पर्यटकों को आकर्षित किया जाए ।

पर्यटन का प्रदेश के नए क्षेत्रों में विस्तार : इसके अन्तर्गत पर्यटन को ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में विकसित करना तथा राष्ट्रीय पार्कों तथा वन्य जीव शरण्यों का विकास शामिल है ।

धार्मिक स्थलों का विकास : इन स्थानों पर पहुंचने के साधनों को सुगम बनाना, आन्तरिक सड़कों, स्वच्छता, जल निकास व्यवस्था तथा अन्य यात्री सुविधाओं में सुधार करके इन्हें महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किया जा सकता है ।

इन नीति योजनाओं के लिए यह आवश्यक है कि संसाधनों की सूची तथा क्षेत्रीय प्रबन्ध योजना तैयार की जाए ।

कार्य योजना :

कार्य योजना पांच विभिन्न क्षेत्रों में विकसित की जानी चाहिए :

* आधार भूत सरचना
* पर्यटन--विशिष्ट संरचना
* मनोरंजन संरचना
* आवास, परिवहन तथा खान-पान
* नीति/विधि-विधान

आधारभूत संरचना :

इसके अन्तर्गत वायु, रेल मार्ग परिवहन तथा बिजली, पानी, संचार एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकसित किया जाना शामिल है । ये क्षेत्र मूल रूप से राज्य सरकार के उतरदायित्व के अधीन आते हैं, परन्तु निजी क्षेत्र के उद्यमियों का भी परियोजना से परियोजना के आधार पर स्वागत किया जा सकता है ।

(i) आवागमन सुविधाओं में सुधार :

जुब्बड़हट्टी (शिमला), भुन्तर (कुल्लू) और गग्गल (कांगड़ा) के वर्तमान तीनों हवाई अड्डों को बड़े वायुयानों के उतरने के लिए विकसित किया जाएगा । इनका कार्य पहले ही आरम्भ किया जा चुका है । राज्य का हैलिकाप्टर पर्यटकों को उपलब्ध करवाया जा रहा है । सरकार पठानकोट हवाई अड्डे के लिए नागरिक उड़ाने आरम्भ करने के लिए केन्द्र सरकार को राजी करने का प्रयत्न भी करेगी । सरकार देश के विभिन्न भागों से कालका तक विशेष रेलगाड़ियां चलाए जाने की दिशा में भी प्रयास करेगी । पर्यटकों के लाभ हेतु रेलवे के सहयोग से नए पैकेज भी आरम्भ किए जायेंगे । सभी पर्यटक स्थलों के लिए राष्ट्रीय व राज्य मार्गों तथा जिला की सड़कों के जाल को भी सुदृढ़ किया जाएगा ।

(ii) एकीकृत क्षेत्र विकास परियोजनाएं :

राज्य सरकार द्वारा प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में केन्द्रीय सरकार के सहयोग से स्वच्छता, सड़कों और पार्किंग सुविधाओं में सुधार के लिए प्रयास आरम्भ किए गए हैं । इसके अन्तर्गत शिमला में कुफरी, मिरमौर में रेणुका, कांगड़ा में मैक्लोडगंज, मण्डी में पराशर और महाराणा प्रताप सागर झील को पहले चरण में लिया गया है । इन परियोजनाओं पर कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाएगा । सोलन, ज्वालामुखी, चिन्तपूर्णी तथा अन्य स्थलों की परियोजनाएं भी समेकित रूप से प्रारम्भ की जाएंगी ।

(iii) झीलों का विकास :

राज्य सरकार प्राकृतिक और मानव निर्मित झीलों को महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए विशेष प्रयास करेगी । उन झीलों के सौंदर्य न केवल को बनाए रखने बल्कि इसमें वृद्धि के लिए समेकित रूप से विकासात्मक कदम उठाए जायेंगे और सरकार इन झीलों को मुख्य आकर्षण बनाने के लिए देशी तथा विदेशी विशेषज्ञों का परामर्श लेगी । महाराणा प्रताप

सागर, चमेरा और गोविन्दसागर में जल क्रीड़ा की सुविधाओं का विकास अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा और इन स्थलों की प्रसिद्धी के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रीड़ा आयोजन किए जायेंगे ।

2. **पर्यटन विशिष्ट संरचना :**

ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनका विकास समृद्ध पर्यटन उद्योग के लिए किया जाना आवश्यक है, प्रमुखतया यह राज्य का उत्तरदायित्व है परन्तु कुछ कार्य निजि उपक्रम के सहयोग से भी कार्यान्वित किया जा सकता है ।

(क) **पर्यटक सूचना एवं स्वागत केन्द्र :**

पुष्ट तथा तुरन्त सूचना की उपलब्धता पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नितान्त अत्यावश्यक है । राज्य में पर्यटन उद्योग के लिए डाटा बैंक के सृजन हेतु आधुनिक तकनीक का उपयोग करके तथा उद्योग की स्वयं की सक्रिय भागीदारी से पर्यटकों/आगन्तुकों को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए सरकार वर्तमान केन्द्रों को सूचना एवं स्वागत कक्ष केन्द्रों में विकसित करने का प्रयास करेगी जो न केवल पयटकों को सूचना उपलब्ध करवाएंगे बल्कि साथ ही साथ वाहन पार्किंग की सुविधा, आवास आरक्षण, परिवहन आरक्षण, सामान घर तथा जहां भी उपलब्ध हो डोरमेटरी आवास जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएंगे । राज्य सरकार आधुनिक प्रचार साधनों जैसे वेबसाइट, ई-मेल, इंटरनेट तथा अन्य इलैक्ट्रोनिक माध्यमों द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने का प्रबन्ध भी करेगी ।

(ख) **मानव संसाधन विकास :**

पर्यटन जैसे सेवा उद्योग में उच्च स्तर की व्यवसायिक सेवाओं को उपलब्ध करवाने हेतु दक्ष कामगार का होना आवश्यक है । राज्य सरकार पर्यटन उद्योग में जनशक्ति की आवश्यकता को आंकेगी तथा प्रशिक्षित जनशक्ति के संकोश को सर्जित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगी । सरकार नीजि क्षेत्रों के सहयोग से होटलों तथा पर्यटन सेवाओं में मानव संसाधन विकास को उपलब्ध करवाने के लिए पूंजी निवेश को भी प्रोत्साहित करेगी । बुनियादी पाठ्यक्रमों के साथ ही कुशल उन्नयन कार्यक्रमों के लिए पारिश्रमिक, छात्रवृतियां तथा कई प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाएगी । नये लघु/बड़े पैमाने के होटलों/रिजोर्टों व परियोजनाओं को प्रेरित किया जाएगा कि वे हिमाचल-वासियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए अपने परियोजना लागत में खर्च का प्रावधान रखें । सरकार राज्य में पर्यटन उद्योग को उन्नत करने के लिए विभिन्न विभागों व अभिकरणों की कार्यसंस्कृति को पुनः उन्नतशील बनाने का प्रयास करेगी ।

(ग) **पुरस्कार :**

सरकार पर्यटन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे आवास सुविधा' खान-पान प्रबन्ध, परिवहन, ट्रेवल एजेंसी, पर्यावरण जागरूकता आदि में उल्लेखनीय योगदान के लिए व्यक्तिगत तथा संस्थानों को वित्तीय तथा गैर वित्तीय पुरुस्कार देने के लिए प्रबन्ध करेगी । यह योजना राज्य स्तरीय समिति द्वारा क्रियान्वित की जाएगी, जिसमें पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधि, अन्य विशेषज्ञ तथा सरकारी अधिकारी होंगे ।

(3) **मनोरंजन/विशिष्ट रूचि संरचना :**

इसमें मनोरंजन पार्क, रज्जू मार्ग, वनस्पति उद्यान, स्वास्थ्य रिजोर्टस, औद्विद वनस्पति उद्यान, वन्य प्राणी शरण स्थल, ध्वनि तथा प्रकाश प्रदर्शन, खेल-कूद व साहसिक खेल इत्यादि सुविधाएं सम्मिलित

हैं । इसमें धार्मिक स्थल भी शामिल हैं, इस प्रकार की सुविधाओं को विकसित करने में नीजि क्षेत्र, पूंजी निवेश में अग्रणी भूमिका निभा सकता है ।

(क) ग्राम पर्यटन :

राज्य के भीतरी क्षेत्रों में पर्यटन के विस्तार को सुनिश्चित करने तथा पर्यटन की दिशा नये क्षेत्रों की ओर बदलने के लिए ग्राम पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा । पर्यटन उद्योग के आधार को विस्तृत करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए भी ग्राम पर्यटन को विकसित किया जाना आवश्यक है । ग्राम पर्यटन इकाईयों तथा फार्म हाऊस को पंजीकृत करवाने की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा तथा राज्य में गांवों तथा फार्म हाऊसों पर क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध है, इसका व्यापक प्रचार किया जाएगा । गांवों में स्थित पांच कमरों से कम की लघु ग्राम पर्यटन इकाईयों तथा पर्यटन सहकारी संस्थाओं को विलास कर में छूट दी जाएगी ।

(ख) तीर्थाटन :

वर्ष भर में भारी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश के धार्मिक तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हैं । सरकार इन धार्मिक तीर्थ स्थानों में सस्ते आवास, पार्किंग, सुलभ शौचालय, एसटीडी आई एसडी सुविधाएं, वाय् सेवाएं, रेल सेवाएं, होटल इत्यादि की बुकिंग, पेयजल, कूड़ा करकट विस्थापन इत्यादि की सुविधाओं के विकास को प्रोत्साहित किए जाने का प्रस्ताव करती है । महत्वपूर्ण उत्सवों के दौरान पर्यटकों को आने वाली असुविधाओं को रोकने के लिए टेंट, छावनियां स्थापित की जाएंगी तथा कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्यटक पुलिस तैनात की जाएगी । मुख्य तीर्थ स्थानों के लिए समन्वित विकास योजनाएं चलाई जायेगी ।

(ग) ईको पर्यटन और शिविर पर्यटन :

राज्य सरकार, राज्य में बनों तथा वन्य प्राणी शरण्यों की पर्यटन सम्भावना को प्रोत्साहित करने का भी प्रस्ताव रखती है । शिविर स्थलों को ट्रैकिंग स्थलों, ट्रैलों, पक्षी निरीक्षण, वाच टावर, वर्षा शालिकाओं, जनसुविधाओं तथा पार्किंग जैसी पर्याप्त संरचनात्मक सुविधाओं से विकसित किया जाएगा । सरकार द्वारा इन शिविर स्थलों के प्रयोग हेतु उचित शुल्क निर्धारित किया जाएगा ताकि इन वनों का रखरखाव और संरक्षण हो सके ।

(घ) साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित करना :

आज हिमाचल प्रदेश देश के साहसिक पर्यटन का पर्याय बन चुका है । पैराग्लाइडिंग, सकींइंग, कैम्पिंग, एंगलिंग, जल क्रीड़ा, शिला रोहण, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण इत्यादि साहसिक खेलों की गतिविधियों के आयोजन में बहुत से युवक सम्बद्ध हैं । साहसिक खेल स्वरोजगार के लिए एक जीवनक्षम मार्ग प्रदान करते हैं । राज्य सरकार युवकों को इस दिशा में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयत्न करेगी ताकि वे इन गतिविधियों को व्यावसायिक आधार पर अपनाने योग्य हो सकें तथा इसका स्तर राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुरूप बन सके । साहसिक खेलों के लिए सुरक्षात्मक मापदण्डों को अपनाने की भी आवश्यकता है तथा राज्य सरकार इन उपायों को लाग् करने के लिए आवश्यक संवैधानिक और विनियम विषय ढांचा उपलब्ध करवाएगी ।

(ङ) कला और संस्कृति को प्रोत्साहन :

स्थानीय कला और संस्कृति को बढावा देना पर्यटन नीति का एक मुख्य घटक है । राज्य सरकार ऐसे उपहार प्रधान उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करेगी जिससे प्रदेश के बाहर हमारी एक

विशेष छवि को बढ़ावा मिले । सरकार निजी क्षेत्रों को, स्थानीय लोक संस्कृति और शिल्प को प्रोन्नत करने और उनको संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहन देगी । ग्राम पर्यटन के माध्यम से भ्रमण पर आए पर्यटकों को स्थानीय कला, संस्कृति और शिल्प से अवगत होने का अवसर प्राप्त होगा । होगा ।

(ञ) **औषधी उद्यानों का विकास :**

हिमाचल प्रदेश में औषधीय पौधे बहुतायत में हैं । राज्य में औषधी उद्यानों का विकास किया जा रहा है । राज्य सरकार पर्यटकों के हित में स्वास्थ्य और शैक्षणिक दृष्टि से इस तरह के उद्यानों और औषधीय जड़ी-बूटी से सम्बन्धित संग्रहालयों का विकास करेगी । पर्यटन विभाग ने इस तरह के दौरों का भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा वन विभाग के सहयोग से आयोजन करना आरम्भ कर दिया है । इससे औषधीयुक्त पौधों के बारे में जागृति और रूचि पैदा होगी ।

(ट) **आमोद-प्रमोद के उद्योग को प्रोत्साहित करना :**

आगन्तुक पर्यटकों के ठहराव में वृद्धि के लिए तथा पर्यटकों की हिमाचल में यात्रा के अनुभवों को और सुखद बनाने के लिए आमोद-प्रमोद की सुविधाएं प्रदान की जानी आवश्यक हैं । राज्य में आमोद-प्रमोद के विकास के लिए पुरजोर प्रयत्न किए जायेंगे ताकि मनोरंजग पार्क, रज्जूमार्ग, फिल्म सीटी, पर्यटन नगर आदि को प्रदेश के विभिन्न भागों में सुनियोजित ढंग से विकसित किया जा सके । मनोरंजन उद्योग में निवेश के लिए निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दिया जाएगा । निवेशक के आवेदन पर राज्य सरकार उचित शर्तों पर सरकारी भूमि प्रदान करेगी अथवा इन योजनाओं के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण भी जिया जा सकता है । आमोद-प्रमोद के बड़े उद्योगों जैसे पार्क, रज्जूमार्ग, गोल्फ कोर्स, फिल्म सिटी और पर्यटन नगर आदि को पहले पांच वर्षों तक मनोरंजन कर से मुक्त रखा जा सकता है ।

(ज) **विदेशी निवेश :**

राज्य सरकार अनिवासी भारतीयों और विदेशी निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी । स्थलों के आबंटन तथा दूसरी आधारभूत सुविधाओं, जो कि एक इकाई स्थापित करने के लिए आवश्यक होती हैं को उपलब्ध करवाने में राज्य सरकार प्राथमिकता देगी । बड़ी परियोजनाओं, जैसे सैटेलाइट टाऊन, अनिवासी कलौनी, साइबर नगर, जिसमें कि 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो, के विकास के लिए सरकार अनिवासी भारतीयों के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करेगी । भारत सरकार के परामर्श और सहयोग से प्रदेश सरकार पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए ऐसी परियोजनाएं तैयार करेगी जिन्हें वाह्य स्रोतों से प्राप्त ऋण द्वारा पोषित किया जा सके ।

(झ) **फिल्मांकन :**

प्राकृतिक सुन्दरता के कारण हिमाचल प्रदेश में अनेक फिल्म निर्माता फिल्मांकन के लिए आते हैं और वर्तमान में उन्हें अनेकों प्राधिकरणों जैसे पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, वन विभाग, नगर पालिकाओं, मन्दिर कमेटियों तथा दूसरे प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति लेनी पड़ती हैं। यह स्थिति उन्हें कई बार यहां आने में निरुत्साहित करती हैं । राज्य सरकार का यह प्रस्ताव है कि बाह्य फिल्मांकन के लिए सभी प्रकार की अनुमति देने के लिए केवल निदेशक पर्यटन को ही प्राधिकृत किया जाए और अन्य दूसरे प्राधिकारी फिल्मांकन के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाएंगे ।

फिल्मांकन हेतु लगाए जाने वाले प्रभार पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे तथा यदि कोई प्रभार दूसरे विभागों द्वारा लगाए जाते हैं तो वे पर्यटन विभाग द्वारा अनुमति जारी करने के समय एकत्रित किए जाएंगे तथा सम्बन्धित विभागों को भेजे जाएंगे विभिन्न विभाग, पर्यटन विभाग के परामर्श और सरकार की स्वीकृति के बिना कोई नये प्रभार नहीं लगाएगा । भवनों के भीतर फिल्मांकन के लिए अनुमति सम्बन्धित विभाग अथवा स्थानीय प्राधिकारी की सलाह से, पर्यटन विभाग द्वारा दी जाएगी तथा इसके लिए निर्धारित किए गए प्रभारों, को पर्यटन विभाग द्वारा एकत्रित किया जाएगा और सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया जाएगा ।

(4) **आवास, परिवहन, खान-पान व्यवस्था :**

ये क्षेत्र मूल रूप से निजी क्षेत्र के लिए सुरक्षित हैं तथा इनमें केवल विशेष स्थिति में गैर विकसित क्षेत्रों में राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकती है ।

(1) **आवास व्यवस्था :**

पर्यटक आवास व्यवस्था उपलब्ध करवाना उसमें सुधार तथा संवर्धन कार्य मुख्यत: निजी क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है । फिर भी वास्तुकला तथा राज्य के पर्यावरण और किसी स्थान विशेष पर अत्याधिक निर्माण कार्य को रोकने के लिए सरकार आवास पर निर्माण नियन्त्रण रखेगी । निर्माण को नगर व शहरी विकास योजना विभाग की मास्टर योजनाओं के अनुरूप नियन्त्रित किया जाएगा ताकि अनियन्त्रित निर्माण को रोका जा सके । सरकार सेब के बागीचों, चाय बागानों, पयटक गांवों, पेईंग अतिथि गृहों में आवास निर्माण हेतु प्रोत्साहित करेगी तथा ऐसे प्रस्तावों को प्राथमिकता और विशेष प्रोत्साहन दिये जाएगे ।

(2) **खान-पान व्यवस्था :**

खान-पान का पर्यटन उद्योग में बहुत महत्व है । जिसके लिए निजी उद्यमियों को पहल करनी होगी । इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सरकार उचित संस्थानों को प्रोत्साहन देगी ताकि पर्यटकों के विभिन्न वर्गों को उचित स्तर की सेवाएं और उनके स्वादानुसार भोजन उपलब्ध करवाया जा सके । राज्य सरकार उचित स्वास्थ्यकर परिस्थितियों और राष्ट्रीय तथा राज्य उच्च मार्गों तथा पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के शोषण को रोकने के लिए पग उठाएगी । सरकार हिमाचली भोजन को प्रोत्साहन देगी ।

(3) **सड़क के किनारे सुविधाएं :**

सरकार निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से सड़क के किनारे कैफेटेरिया, पार्क, सूचना केन्द्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु प्राथमिकता प्रदान करेगी ।

(4) **धरोहर पर्यटन तथा स्मारकों का प्रशिक्षण :**

प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पुराने महल, किले, हवेलियां तथा अन्य मनोरम भवन हैं जहां यदि उचित व्यवस्था की जाए तो ये स्थल अपने आप में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल साबित होंगे । इस प्रकार के पर्यटन आवास भवनों के विकास हेतु सरकार प्रोत्साहन देगी तथा ऐसे विरासती होटलों के लिए पांच वर्ष तक विलासिता कर में छूट दी जाएगी ।

विरासती भवनों, जिन्हें होटलों में परिवर्तित किया जा रहा है के अतिरिक्त, ऐसे अनेक ऐतिहासिक मन्दिर, मठ, चर्च, किले तथा अन्य भवन हैं जो राज्य की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं ।

राज्य सरकार भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा निजी क्षेत्र को उक्त भवनों के विकास के लिए प्रोत्साहित करेगी ताकि ये पर्यटन के मुख्य आकर्षण केन्द्र बन सके ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, विरासत क्षेत्र, विरासत गांव का रख-रखाव, सौन्दर्यकरण तथा उनमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिन्हित किया जाएगा । चिन्हित विरासत क्षेत्र/गांव में केवल नियन्त्रित निर्माण की ही अनुमति प्रदान की जाएगी ।

(5) **व्यापार सम्बन्धी सुविधाओं का विकास :**

बेमौसम (आफ सीजन) में पर्यटन सम्भावनाओं का अधिकतम लाभ लेने के लिए व्यापार सम्बन्धि सभाओं का आयोजन उचित सुअवसर प्रदान करता है । सरकार राज्य में इस प्रकार की सभी सुविधाओं के निर्माण को प्रोत्साहन देगी तथा इसके साथ-साथ देश के शेष भागों में पयटन मार्किटिंग पर जोर देगी । इस प्रयोजन हेतु प्राथमिकता के आधार पर ऋण अनुमोदन करने के लिए राज्य वित्तिय संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा ।

(6) **नवीन पर्यटन विकास पैकेज का विकास :**

सरकार नये पर्यटन क्षेत्रों के विकास की योजना बनाएगी तथा उद्योग के सहयोग से इन क्षेत्रों में पैकेजीस का आयोजन करेगी और इन नए क्षेत्रों में पैकेज के लिए पर्याप्त प्रचार एवं प्रसार करगी ।

(7) **परिवहन :**

राज्य सरकार प्रदेश में तथा प्रदेश से बाहर सुरक्षित, सस्ती तथा विश्वसनीय परिवहन सुविधा सुनिश्चित करवाएगी । पर्यटन वाहनों में तथा पर्यटन स्थलों पर व्यवसायिक मार्ग दर्शकों की सेवाएं प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा । सरकार कर तथा उपकरों की उगाही के लिए सरल नीति तैयार करेगी जिससे राज्य में आने वाले पर्यटकों को सुविधा प्राप्त हो ।

(8) **नीति/योजना/विधान :**

पर्यटन की वृद्धि हेतु योजना तैयार करने तथा नियन्त्रण रखने में राज्य सरकार की निर्णायक भूमिका है जिससे यह प्रदेश वासियों तथा पर्यावरण के हित में हो ।

(i) **पर्यटन समूह :**

पर्यटन समूह स्थापित करने हेतु पर्यटन विभाग नए स्थलों को चिन्हित करेगा । इन समूहों को पर्यटन नगरों/पर्यटन गांवों के रूप में निर्मित एवं विकसित किया जाएगा । सरकार इन समूहों पर जल, सड़क, बिजली, संचार साधन इत्यादि नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी तथा ऐसी परियोजनाएं तैयार करने का पूरा खर्च वहन करेगी और इस प्रकार के कार्यों के लिए वित्तीय संस्थाओं से धन आबंटन की प्राथमिकता देगी । मनोरंजन पार्क, विश्राम स्थल, कैफे, हस्तशिल्प इत्यादि क्रिया कलापों को भी इन परियोजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा । इन स्थलों पर प्लाटों का आबंटन औद्योगिक प्लाटों की तरह ही किया जाएगा ।

(ii) **भू-नीति :**

भूमि क्रय नियमों को सरल बनाया जा रहा है । इस सम्बन्ध में जिम्मेवारी एक ही अधिकारी को दी जाएगी ताकि वह सभी विभागों से ताल-मेल करके कार्य को सम्पन्न करवाएं ।

जिससे उद्यमियों को समय तथा प्रयास में बचत होगी । राज्य में महत्वपूर्ण स्थलों पर जो सरकारी भूमि उपलब्ध है उसे पर्यटन विभाग को हस्तान्तरित किया जाएगा । राज्य में पर्यटन सम्बन्धी क्रियाकलापों को विकसित करने के लिए विभाग इन स्थलों को निजी उद्यमियों को पट्टे पर देगा । निजी उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए इन स्थलों बारे समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाएगा । पर्यटन परियोजनाओं हेतु भूमि खरीदने के लिए निजि भू-स्वामियों से सहमति प्राप्त कर सरकार निजी भूमि का एक भू-बैंक तैयार करेगी । सम्भावित उपयोग की प्रारम्भिक संवीक्षा करके भूमि को पूल में दर्शाया जाएगा और वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाएगा । पार्टियां आपस में भूमि का सौदा करेंगी परन्तु विभाग क्रेयता और विक्रयता से सेवा प्रभार के रूप में नाममात्र राशि वसूल करेगा । भू-सुधार अधिनियम की धारा 118 के अन्तर्गत ऐसी खरीदो फरोख्त के लिए तत्काल स्वीकृति दी जाएगी बशर्ते कि परियोजना की परिकल्पना का पहले ही अनुमोदन किया जा चुका हो ।

(iii) पर्यटन विकास परिषद :

राज्य सरकार पर्यटन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण क्षेत्रों या स्थलों के लिए पर्यटन विकास परिषदों का गठन करेगी । परिषद् में सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग भी सदस्य होंगे तथा उनके अधिकार क्षेत्र में पर्यटक स्थलों की व्यवस्था का कार्य सौंपा जाएगा । इस परिषद् को पर्यटन स्थलों के लिए निधि इकट्ठा करने और पर्यटन सम्बन्धित संरचनात्मक ढांचे तथा उससे सम्बद्ध सुविधाओं के लिए शुल्क तथा उपकर लगाने का अधिकार भी दिया जाएगा ।

(iv) पर्यटन विकास बोर्ड :

माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों सहित पर्यटन विकास बोर्ड का गठन भी किया जाएगा । यह बोर्ड राज्य में पर्यटन उद्योग एवं उन्नति के लिए नीतिगत मार्गदर्शन करेगा । बोर्ड, पर्यटन उद्योग से सम्बन्धित विषयों के नियमन तथा लाईसेंस मामलों के बारे राज्य सरकार को परामर्श भी देगा ।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की भूमिका :

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए मार्गदर्शक तथा मुख्य प्रवर्तक रहा है। राज्य में पर्यटन के विकास में और अधिक गति प्रदान करने हेतु निगम ने विभिन्न परियोजनाएं तथा स्कीमें तैयार, विकसित, उन्नत एवं निष्पादित की हैं । हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम राज्य में पर्यटकों के लिए नये पर्यटक स्थल तैयार करने हेतु अग्रणी भूमिका निभाएगा तथा निजी क्षेत्र को भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रदान करेगा । ऐसे नये क्षेत्रों की नई परियोजनाओं के विकास के लिए संसाधन जुटाने हेतु राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की विद्यमान सम्पत्तियों के निजीकरण एवं अपनियोजन की सम्भावनाओं का पता भी लगाएगी । हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम नए पर्यटन पैकेज तैयार कर उनका संचालन करेगा और साहसिक गतिविधियों को भी विकसित करेगी । निगम, पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों के बारे में सूचना प्रदान करने हेतु सहायक सामग्री भी प्रकाशित करेगा ।

[*Authoritative English Text of Himachal Pradesh Government Notification No.* 6-12/91-*TSM* (*Sectt.*)-*II, dated* 9-8-2000 *as required under Article* 348 (3) *of the Constitution of India*].

TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 9*th August*, 2000

No. 6-12/91-TSM (Sectt)-II. The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to frame the Tourism Policy of Himachal Pradesh for the Development of Tourism, as per Annexure-A.

By order,

AJAY PRASAD,
Financial Comimssioner-cum-*Secretary*.

ANNEXURE-A

TOURISM POLICY OF HIMACHAL PRADESH, 2000

(1) Tourism–Engine of Growth for the Next Millennium :

Tourism is increasingly recognized as one of the most important sectors of the global economy. In India, although we have not yet even begun to tap the potential, tourism already is the third largest foreign exchange earner. Each million rupees invested in tourism creates 47.5 new jobs. This compares favourably to even important traditional sectors like agriculture, where a similar investment yields only 44.7 new jobs. Worldwide, countries at all stages of development are realizing that tourism is a major engine of growth for the new millennium. It is, moreover, one that can help us preserve our natural and cultural environments, providing sustainable development at many levels.

Himachal Pradesh is endowed with all the basic resources necessary for thriving tourism activity, geographic and cultural diversity clean, peaceful and beautiful environment, forests, lakes, mountains, rivers streams, sacred shrines, historic monuments and that most important resource of all friendly and hospitable people. During 1999, total tourist arrivals in the state were 4.77 million of which 88,000 were foreigners. Tourism already contributes nearly 2% of our State Domestic Product. With careful planning and development, there is no reason that this cannot be increased many times over.

(2) Need for a Tourism Policy :

The Chief Minister, Himachal Pradesh, Prof. Prem Kumar Dhumal has given a new mission statement to the Himachal Department of Tourism :—

> "To create prosperity for the people of Himachal Pradesh through travel and tourism, tourism that is in harmony with the social and cultural values of the local communities and is environmentaly sustainable and to create direct, indirect and ancillary new employment opportunities for the people of this State".

To reach the goals of this mission, and to explore the full scope of our tourism potential, it is necessary to develop a new Tourism Policy.

1. The last State Government tourism policy was declared in 1991. Since then, many new factors have emerged. Business and activity oriented tourism have entered the scene, alongside

the more traditional leisure tourism. Adventure sports have become a major tourist attraction. We have realized-often, too late that unbridled expansion can lead to ecological damage. At this point, it is crucial that we develop an appropriate regulatory framework to ensure that all tourism activity takes place in a safe, and orderly fashion, and to make sure that all future development takes place in a manner that will enhance and protect our natural and cultural environment. There is also tremendous opportunity for the State to act in the roll of facilitator, providing an attractive and appropriate environment for new investment in the tourism industry, without being overly dependent on subsidies and incentives.

(3) New Tourism Policy—Objectives :

(1) To promote economically, culturaly and ecologically sustainable tourism in Himachal Pradesh ;
(2) To promote responsible tourism, that will be welcomed as both preferred employer and new community industry ;
(3) To use tourism as a means of providing new employment opportunities in rural, tribal and remote areas ;
(4) To increase private sector participation in tourism, both as a means of generating employment and providing new infrastructure ;
(5) To develop activity-based tourism to increase the duration of tourists visits ;
(6) To develop advanture tourism by providing facilities and safety standards at internationally-required levels ;
(7) To devote special attention to the promotion of religious tourism ;
(8) To promote new concepts in tourism, such as time-share ;
(9) To transform the role of the Government into that of facilitator.

(4) New Tourism Policy—Strategy :

To achieve the above objectives, the new tourism policy will employ the following strategies :

Break the seasonality factor.—Himachal has always been a popular tourist destination in the summer. Tourism products must be diversified to attract visitors in other seasons as well.

Dispers tourism to lesser known areas of the State.—This includes promoting tourism in rural and tribal areas, and developing National Parks and wildlife sanctuaries.

Develop pilgrimage sites.—These can become important tourism destinations by improving access, internal roads, sanitation and drainage, and pilgrim facilities. In addition, other tourism activities can be developed in nearby areas.

For all these strategies, it will be necessary to prepare an inventory of resources and a zoning management plan.

Plan of Action :

Plans of action must be developed in five different areas :

Basic infrastructure
Tourism-specific infrastructure
Entertainment infrastructure
Accommodation, transport and catering
Policy Legislation.

Basic Infrastructure :

This includes upgrading of air, rail and road access, and improvement of power, water, communication and other basic facilities. These are areas that are basically the responsibility of the State Government, although private sector initiative may be welcomed on a project-to-project basis.

(*i*) *Improving Access* :

The three existing airports of Jubberhatti (Shimla), Bhauntar (Kullu) and Gaggal (Kangra) shall be upgraded for landing of larger capacity aircraft. The work on these has already been taken up. The State helicopter is being made available for use of tourists. The Government shall also attempt make the Government of India to agree for civilian flights to Pathankot airport. The Government shall also endeavour for introduction of special trains from various destinations in the country up to Kalka. The Government shall also introduce innovative packages in co-operation with railways for the benefits of tourists. The network of National and State Highways as well as District roads will also be strengthened for all tourist destinations.

(*ii*) *Integrated Area Development Projects* :

The Government has launched efforts, with the assistance of Central Government, to improve the sanitation, roads and parking facilities in popular tourist Stations. Kufri in Shimla, Renuka in Sirmaur, Mcleodganj in Kangra, Parasher in Mandi and Maharana Pratap Sagar lake have been taken up in first Phase. Work on these projects will start soon. Projects at Solang, Jawalamukhi, Chintpurni and other places will also be taken up in an integrated way.

(*iii*) *Development of lakes* :

The State Government will make special efforts to make natural and man-made lakes as important tourist destinations. Steps will be taken to maintain and enhance their beauty by undertaking development in an integrated manner and Government will seek expert advice of both domestic and foreign experts to develop the lakes as major attractions. Facilities for water sports in Maharana Pradap Sagar, Chamera, and Gobind Sagar will be developed to international standards and national and international level events will be organized to popularise these destinations.

(2) Tourism –Specific Infrastructure

These are the crucial areas necessary for development of a successful tourism industry. They are primarily the responsibility of the State, but some may be carried out in co-ordination with the Private Sector.

(*i*) *Tourist Information and Reception Centres* :

Availability of reliable and quick information is absolutely vital for promotion of tourism. To harness the modern technology to create data bank on tourism idustry in the State and to provide information to the tourists/visitors through information kiosks with active participation of the industry itself, the Government shall endeavour to upgrade the existing centres into information-*cum*-reception centres, which not only provide information but also provide facilities for parking, reservation of accommodation, transport reservation, cloak room facility and even dormitory accommodation where possible. State Government will also arrange to provide information through modern means like web site, E-mail, Internet and other electronic means.

(*ii*) *Human Resource Development* :

In a service industry like tourism, availability of skilled workforce is essential for delivery of professional services of the highest order. The State Government will assess the manpower requirements of tourism industry and organize training programes to create a pool of trained manpower. The Government would like to see investments in human resource development in hotels and tourism services provided in collaboration with the private sector. Stipend, scholarships and other forms of financial aid may be given for basic courses as well as for skill upgradation programmes. New small/large scale hotels/resorts and projects will be persuaded to make provision for expenditure on higher level training of Himachalis as a part of their project capital cost. The Government shall endeavour to re-orient the policy and work culture of all Departments and agencies to facilitate the promotion of tourism industry in the State.

(*iii*) *Awards*:

To promote excellence in tourism, the government will institute monetary and non-monetary awards for institutions and individuals for recognition of outstanding contribution in various sectors of tourism like accommodation, catering, transport, travel agency and eco-friendly practices. This scheme will be administered by a state level committee consisting of experts, representatives of the tourist trade and Government officials.

(3) Entertainment/Special Interest Infrastructure :

This includes facilities such as amusement parks, ropeways, parks, herbal gardens, health resorts, botancical gardens, wildlife sanctuaries, sound-and-light shows, sports and adventure. It also includes sacred sites. The private sector can play a leading role in development of these types of facilities, with the State creating conditions conducive to investment.

(*i*) *Village Tourism* :

Village tourism shall be encouraged to ensure dispersal of tourists across the State and to open up new areas for tourism. Village tourism also needs to be encouraged to broaden the base of tourism industry and provide employment opportunities in the rural areas. The procedure for registration of village tourism units and farmhouses shall be simplified and adequate publicity given to the facilities available in the State in villages and farmhouses. Small village tourism units in villages with less than five guestrooms or tourism cooperatives will be exempted from luxury tax.

(*ii*) *Pilgrimage Tourism*:

Large number of tourists visit sacred shrines of Himachal Pradesh through-out the year. The State Government proposes to encourage development of cheap accommodation, parking, Sulabh Shauchalayas, STD/ISD facilities, air, rail and hotel bookings, drinking water, garbage disposal etc. at these religious places. During important festivals, special tented colonies and TICs will be set up and tourist policy will be deployed in order to avoid inconvenience to the tourists. Special integrated development plans for places where large number of pilgrims visit, will be drawn up and implemented to facilitate the growth of pilgrimage tourism.

(*iii*) *Eco-tourism and Camping tourism* :

The State Government also proposes to harness the tourism potetial of forests and wild life sanctuaries in the State. Camping sites wtih adequate infrastructure facilities for trekking trails, bird watching towers, rain-shelters, public conveniences and parking shall be developed. A

reasonable fee shall be determined by the Government for use of camping sites for the maintenance and conservation of these forests.

(iv) *Promotion of Adventure Tourism* :

The State is today synonymous with adventure tourism in the country. A number of youth are engaged in organising adventure sports activities like para-gliding, sking, camping, angling, water sports, rock climbing, trekking,mountaineering etc. Adventure sports offers one of the most viable avenues for self employment. The State Government shall make efforts to provide comprehensive training to the youth so that they are able to take up these activities on commercial basis and the facilities available are of acceptable international standards. Adventure sports also require enforcement of safety standards and Government shall provide the necessary legislative and regulatory frame-work for enforcement of these safety standards.

(v) *Promotion of Art and Culture :*

Promotion of local art and culture is a major component of tourism policy. The State Government shall endeavour to encourage the development of souvenir industry, which would promote a distinctive image of the State outside its borders. The private sector will be encouraged to patronize and promote local folk culture and crafts. Village tourism is also expected to provide a closer glimpse of the local art, culture and crafts for the visiting tourists.

(vi) *Development of Herbal Gardens :*

Himachal Pradesh has an enormous wealth of medicinal plants. Herbal gardens are being developed in the State. The State will promote such gardens and Herbal Museums as tourist attractions for health and academic reasons.The tourism department in collaboration with department of Indian System of Medicine and Department of Forests has started organizing such tours, which will further develop awareness and interet about medicinal plants.

(vii) *Promotion of Entertainment Industry* :

To make visit to Himachal a pleasant experience and to prolong the stay of visitors/tourists, there is a need to provide facilities for entertainment in the State. Efforts will be made to develop the entertainment industry in the State in a big way so that amusement parks, ropeways, film cities, tourism cities etc., are developed in a planned manner in different parts of the State Private sector will be encouraged to invest in entertainment industry. The State Government will provide government land on reasonable terms or acquire private land for such projects on the request of the investors.

Large Projects for amusement parks, Ropeways Project, Golf courses. Film cities and tourism cities may be exempted from entertainment duty for the first 5 years.

(viii) *Foreign investment* :

The government will encourge the non-resident Indian and foreign investors to invest in the State. The government shall accord priority for allocation of sites and other basic facilities which are required for setting up a unit. A special incentive package will also be provided to the N. R. Is. for implementing mega projects like development of Satellite Towns, N. R. I. colonies, Cyber city with investments exceeding Rs. 100 Crores. The government will also prepare schemes for development of tourism facilities for being funded by external sources on loan and aid basis in consultation and co-operation with the Government of India.

(iv) Film shooting :

Himachal because of its scenic beauty attracts serveral film makers for shooting of films. Currently, they have to seeks permission from a number of agencies like Tourism Department. Deputy Commissioner. Police Department, Forest Department. Municipalities, temple committees and other authorities. This is discouraging them from coming to Himachal. The State Government proposes to declare Director Tourism as the sole authority for granting all type of permissions for outdoor shooting and all other authorities will co-operate in providing necessary assistance for film shooting. The charges to be levied will be decided by the Department of Tourism and if at all, any charges are to be levied by any other department, they will be collected by Tourism Department at the time of grant of permision and remitted to the concerned departments, However on such charges shall be levied without consultation with tourism department and the approval of the Govenment. For indoor shooting in a building the permission will be given by the tourism department in consultation with conerned department or local authority and the charges thereof will be collected by the tourism department and remitted to the concerned authority.

(4) Accommodation Transport, Catering :

These are areas basically reserved for private sector, with the State interveing only in exceptional cases, such as in under-developed areas.

(i) Accommodation :

The task of providing, upgrading and augmenting tourist accommodation will primarily be reserved for private sector. However, the Government will regulate construction of accommodation to preserve the architecture and ecology of the State and to aviod over exploitation and overloading of a particular station. The construction will be regulated in accordance with the master plans of the department of Town & Country Planning so that the pitfalls of unbridled growth are avoided. The Government will encourage creation of accommodation in orchards, tea gardens, tourist villages, paying guest-houses in villages and such proposals will be given preferential treatment and special incentives.

(ii) Catering :

Catering is an important area of tourism industry where the private enterprise is expected to take the initiative. The Government shall endeavor to promote suitable institutions to train the man power in this sector so that services of affordable standards and acceptable taste are provided to various categories of tourists. The State Government will take steps to ensure proper hygienic conditions and to prevent the exploitation of tourists on national and state highways and in tourist places. The Government will encourage ethnic Himachal cuisine.

(iii) Wayside amenities :

The Government shall accord high priority for provision of wayside amenities like cafeterias, parks, information services, public conveniences through the private sector as well as through public and private sector participation.

(iv) Heritage Tourism & Preservation of Monuments :

The State has a number of old palaces, forts, havelies and other beautiful buildings which if properly developed could become important tourist destinations themselves. The Government shall encourage the development of such buildings for use as tourist accommodation and *such heritage hotels shall be exempted from the luxury tax for a period of five years.*

Apart from heritage buildings being converted into hotels, there are a number of historical temples, monasteries, churches, forts and other buildings which constitute the cultural heritage of the State and Government would endeavour to associate the Archeological Survey of India and private sector in their development as major tourist attractions.

In addition to the above, heritage zone heritage villages would be identified for preservation, maintenance, beautification and for providing basic amenities. Only regulated construction would be permitted within the identified heritage zone village.

(*v*) *Development of Business Convention Facilities* :

Business conventions today offer the best opportunity for optimal utilisation of tourism infrastructure in the off season. The Government will endeavour to promote both the creation of convention facilities in the State at par with the best in the country and aggressive marketing of this infrastructure in the rest of the country. State Financial institutions will be encouraged to approve loans on priority for this purpose.

(*vi*) *Development of New Package Tours* :

The Government shall plan development of new tourist circuits and packages for these circuits in close co-operation with the industry and provide adequate publicity for these new circuits and packages.

(*vii*) *Transport* :

The State Government shall seek to provide safe, economical and reliable transport within the State as well as across State borders. Professional Guides shall be encouraged to make available their services to the tourists in coaches as well as at tourist destinations. The Governent shall also evolve a mechanism to simplify the collection of taxes and levies so as to facilitate the unhindered movement of tourists in the State.

(5) Policy/Planning/Legislation :

The State's most crucial role is in planning and regulating tourist growth so that it occurs in a manner most beneficial to the State's citizens and environment.

(*i*) *Tourism Clusters* :

The department of tourism will identify sites at new destinations in order to set up tourism clusters. These clusters will be designed and developed as tourism cities/tourist villages. The Government will organise the civic infrasturcture at these clusters such as water, road, electricity, communication etc., and will also meet the full cost of preparing such projects and shall accord priority for allocation of funds for such ventures from the financial institutions. Activities like amusement parks, resorts, cafes, handicrafts etc. will also be integrated into the projects. The plots in these clusters will be offered on the pattern of Industrial Plots.

(*ii*) *Land Policy* :

The laws for the purchase of land are being simplified. A single officer will be made responsible so as to co-ordinate clearances from all the departments, thereby saving time and effort of the entrepreneurs. The government land, which is available in the State at important places, will be tranferred to Tourism Department. The Department will further lease-out these sites to private sector for the development of tourism related activities in the State. The sites will be advertised in press to attract prospective entrepreneurs. The Government will also create land bank of private

land by inviting consent of owners to sell land for tourism projects. After initial scrutiny of possible use, the land will be shown in pool and put on website. Parties themselves will enter the transaction but the department will charge nominal charges as service charges from buyer and seller. The permission under section 118 of Tenancy and Land Reform Act will be readily given for such sales provided the concept of project is got approved before hand.

(*iii*) *Tourism Development Councils* :

The State Government shall constitute Tourism Development Councils for specific areas or destinations of tourist importance. These Councils will have membership from the tourism and travel trade in addition to a few government officials and shall be entrusted with management of tourism destination within their jurisdiction. These Councils shall maintain & operate a Tourism destination fund and shall be allowed to raise resources for the development of the infrastructure and related facilities by way of fees, Cess etc.

(*iv*) *Tourism Development Board* :

A Tourism Development Board under the chairmanship of Hon'ble Chief Minister and with representation from amongst the officials non-officials, shall also be set-up to formulate policy guide-lines for development and promotion of tourism industry in the State and to advice the State Government on matters regarding regulation and licencing in the tourism industry.

Role of H. P. T. D. C. :

H. P. T. D. C. has been a catalyst, trendsetter and a prime mover for the promotion of domestic and foreign tourism in the State. It has established, development, promoted and executed various projects and schemes to facilitate and accelerate the development of tourism in the State. Himachal Pradesh Tourism Development Corporation shall continue to play a pioneering role in the State to develop and open virgin destinations for tourists and provide healthy competition to the private sector. The State Government shall however explore possibilities of privatization and disinvestment of existing properties of H. P. T. D. C. to raise resources for development of new projects in hither-to virgin areas, H. P. T. D. C. will also prepare, organize and operate new packages and promote adventure activites. It will also produce literature for disseminating information to the tourists about Himachal Pradesh as a tourist destination.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित